

दिनांक : 31.08.2019

—: छात्रवृत्ति संबंधित आवश्यक सूचना :-

BA, B.Sc., B.Com Session 2018-19 एवं 2019-20 हेतु समाज कल्याण विभाग की SC/ST/SBC & OBC छात्रवृत्ति प्रक्रिया प्रारम्भ


आवेदन की अन्तिम दिनांक : 30 सितम्बर 2019

सामाजिक न्याय आधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में **BA, B.Sc., B.Com Session 2018-19** द्वितीय वर्ष एवं **2019-20** प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों एवं पूर्व शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति प्रक्रिया घोषित की जा चुकी है। इस संबंध में **SC/ST/SBC & OBC** अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जन जाति (एस.टी.), विशेष पिछड़ा वर्ग (एस.बी.सी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी) के ऐसे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, कि सामाजिक न्याय आधिकारिता विभाग की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते है वे सभी अन्तिम दिनांक **30.09.2019** तक अपने ऑन-लाईन आवेदन भर कर लॉक करें और कॉलेज को वेरीफिकेशन के लिए ऑन लाईन प्रेषित करें।

छात्रवृत्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु एडमिन शखा में छात्रवृत्ति प्रभारी श्री विक्रम राठौड़ 9667929676 से सम्पर्क करें।


शिखा जैन
(सचिव)

एमआईटीएस साईंस आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज प्रबन्ध समिति


Swapan Kumar
प्रचार्य (I/C)

एमआईटीएस साईंस आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज


Scholarship Incharge


BA, B.Sc., B.Com शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा SC, ST, SBC & OBC को प्रदान की जाने वाली

समाज कल्याण विभाग की Fresh/Rnewal छात्रवृत्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ : अन्तिम दिनांक 30 सितम्बर 2019


दिनांक : 31.08.2019

<p>Fresh/Renwal Application छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी</p>	<p>1. अनुसूचित जाति (SC.), अनुसूचित जन जाति (ST), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) वर्ग के सभी आवेदक राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। सभी SC/ST/SBC आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के सम्पूर्ण परिवार की सकल स्रोतो से वार्षिक आय (Total Income in (Fainicial Year 2018-19) 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं OBC हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के सम्पूर्ण परिवार की सकल स्रोतो से वार्षिक आय (Total Income in (Fainicial Year 2018-19) 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इस आय की गणना वित्तीय वर्ष 2018-19 के आधार पर होनी चाहिए।</p> <p>2. विशेष रूप से ध्यान रखे की OBC Appliction छात्रवृत्ति निम्न वर्गों के विद्यार्थियों को उल्लेखित वरीयता क्रमानुसार ही प्रदान की जाएगी। यदि आवेदक विद्यार्थी निम्न 17 कटेगरी के अन्तर्गत आते है तो ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की श्रेणी के OBC विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और स्पष्ट रूप से आपको सूचित किया जाता है यदि आप निम्न निर्धारित श्रेणीयों में आते है तो ही आवेदन करे/अन्यथा आवेदन ना करें। 17 कटेगरी का वरीयताक्रमानुसार इस प्रकार है :- 1. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री 2. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्र 3. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री 4. अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्र 5. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री 6. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र 7. अनाथ बालिका 8. अनाथ बालक 9. विधवा स्वयं 10. विधवा की पुत्री 11. विधवा का पुत्र 12. तलाकशुदा महिला स्वयं 13. तलाकशुदा महिला की पुत्री 14. तलाकशुदा महिला का पुत्र 15. विशेष योग्यजन स्वयं 16. विशेष योग्यजन की पुत्री 17. विशेष योग्यजन का पुत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थी यदि उपरोक्त 17 श्रेणीयों में से यदि किसी एक से संबंधित है तो उस श्रेणी से संबंधित ऑरिजनल प्रमाण-पत्र स्केन कर पोर्टल पर अपलोड कर अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत नहीं होगी)</p>
<p>Fresh/Renwal Application छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थी प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशी</p>	<p>विभाग द्वारा छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार ही दृश्यन फीस + रजिस्ट्रेशन फीस + यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फीस + एकजामीनेशन फीस + लाईब्रेरी/बुकबैंक फीस + नियमानुसार अनुरक्षण मत्ता SC, ST, SBC, OBC के हॉस्टलर एवं डे स्कॉलर विद्यार्थी को समाज कल्याण विभाग के नियमानुसार राशि का रिफंड किया जाता है।</p>
<p>Fresh/Re.wal Application ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व निम्न डॉक्यूमेंटस तैयार रखे एवं निम्न डॉक्यूमेंटस/सूचनाएं अपलोड करने की आवश्यकता रहेगी।</p>	<p>For Session 2019-20 BA, B.Sc., B.Com Fresh/Renwal Application आवेदन हेतु निम्न (Scan JPG/PDF) दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी जो की निर्धारित साईज का हो :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्वयं की निजी एवं वैद्य जी ई-मेल आई डी/वैद्य मोबाईल नम्बर/विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र 2. आधार-संख्या अथवा आधार एंजीकरण-संख्या नय रसीद (आधार कार्ड में अपना पर्सनल मोबाईल नम्बर व मेल आईडी आवश्यक रूप से अपडेट करके उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे) 3. आधार-संख्या अथवा आधार एंजीकरण-संख्या नय रसीद (आधार कार्ड में अपना पर्सनल मोबाईल नम्बर व मेल आईडी आवश्यक रूप से अपडेट करके उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे) 4. स्वयं के व्यक्तिगत नाम से बैंक खाता का विवरण : बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड, एम.आई.सी.आर.कोड, बैंक शाखा का नाम (मांशाहा कार्ड में आपको बैंक एकाउण्ट नम्बर अपडेट होना चाहिए/छात्रवृत्ति में आवेदित बैंक एकाउण्ट नम्बर जन-धन खाता का नहीं होना चाहिए/आपका बैंक एकाउण्ट जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए/खाते में एमाउण्ट ट्रांसफर की सीमा अधिकतम होनी चाहिए। 5. शैक्षणिक संस्थान का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है। 6. पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है। 7. पासपोर्ट साईज का फोटो 8. मूल निवास प्रमाण पत्र 09. आवेदक के पिता का PAN CARD (यदि विद्यार्थी कुल 50,000 या इससे अधिक की छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा है, बी.पी.ए. के लिए PAN CARD की आवश्यकता नहीं है) 10. 10 वीं की अंकतालिका/12वीं की अंकतालिका/प्रिवियस ईयर की अंकतालिका 11. वर्ष 2019-20 की सभी Original Fees Receipt फीस वाले कॉलम में पोर्टल पर अपलोड करें। 12. यदि आपने शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अध्ययन नहीं किया है तो निर्धारित प्रारूप में Notray Attested के साथ Original Gape Certificate (Format कॉलेज की वेबसाईट से प्राप्त करें) 13. अन्य पिछड़ा श्रेणी में आवेदन करने हेतु उपरोक्त श्रेणी में आने वाले 17 वर्ग से संबंधित Original Certificate (प्रमाण पत्र) 14. SC, ST, SBC & OBC का जाति प्रमाण पत्र (विशेष रूप से ध्यान रखे की आवेदन के समय का OBC/SBC जाति प्रमाण पत्र आवेदन करते समय से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) 15. "प्रारूप-भाग-द" में नवीनतम नोटरी सहित आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण प्रस्तुत करते समय विशेष रूप से ध्यान रखे की यदि आपके अभिभावक सरकारी कर्मचारी है तो आपको पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयकर रिटर्न की ऑरिजनल प्रति (फार्म-16 और जीए-55)/यदि आपके अभिभावक सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनर है तो जिस बैंक खाते में पेंशन आ रही है उसकी वित्तीय वर्ष 2018-19 की बैंक डायरी में सम्पूर्ण एंट्री की प्रिंटआउट एवं PPO पेंशन पेमेंट आर्डर की कॉपी/यदि आपके अभिभावक की आय वेतन से आ रही है तो जहाँ आपके पिताजी नौकरी कर रहे है वहाँ का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र को आय प्रमाण पत्र "प्रारूप भाग-द" के साथ कन्टीन्यू स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा आपका आय संबंधी प्रमाण स्वीकार नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र

	<p>समाज कल्याण विभाग विभाग द्वारा निर्धारित "प्रारूप भाग-द" में ही प्रस्तुत कर और आय प्रमाण के साथ के रूप में केवल इस प्रपत्र को पोर्टल पर अपलोड करें, यदि आपके द्वारा किसी अन्य प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। 16. विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें की जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर अपलोड कर रहे हैं वो कॉलेज व समाज कल्याण विभाग को Zoom करने पर वेरीफिकेशन हेतु साफ दिखाई दिया जाना चाहिए। यदि आपका स्कैन डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं होगा तो आपकी छात्रवृत्ति का आवेदन वेरीफाई नहीं किया जाएगा एवं इस कारण से Scholarship Application Reject होने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। 17. आप से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट Original ही अपलोड करना है और यदि इसके अतिरिक्त यदि आप द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी अपलोड की जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा)</p>
<p>Fresh/Renwal Application ऑन लाईन आवेदन करने में विशेष ध्यान रखने योग्य बातें</p>	<p>For Session 2019-20 BA, B.Sc., B.Com Fresh/Renwal Application की आवेदन प्रक्रिया :-</p> <p>विशेष ध्यान देने योग्य विवरण जिसके अभाव में आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सभी आवेदक अपने Aadhar Card में अपना वैध G-Mail ID और Mobile Nubmer आवश्यक रूप से Update करवाएं यदि आपके Aadhar Card में आपका वैध G-Mail ID और Mobile Nubmer Update नहीं है तो आप SSO-Portal अपना Student Registraion और Scholraship 2019-20 हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे। Aadhar Card में Mail ID और Mobile Nubmer Update होने के बाद ही आप ही आप आवेदन करें उसके पूर्व छात्रवृत्ति आवेदन ना करें। 2. समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू नई प्रक्रिया के तहत इस वर्ष के छात्रवृत्ति की राशि आपके Bhamashah Card में Mention Bank Account Number में हस्तांतरित होगी। अतः विशेष रूप से आपका SBBJ/Ohter Bank Account Number बामाशाह कार्ड में अपने नाम के साथ लिंक करवा कर Update करवाएं। विशेष रूप से ध्यान रखें की आपका Bank Account : Zero Balance Account, Zero Balance, Minimum Transfer Limit, Deactivate Account, JAN-DHAN Account नहीं होना चाहिए। आवेदन करने के उपरान्त इस Bank Account को पुरे वर्ष भर Activate रखें साथ ही बैंक-शाखा से सम्पर्क कर इस Bank Account की Amount Tranfer Limit को Maximum Amount Tranfer Limit करवा दें। 3. Bhamashah Card में भी आपका आपका वैध G-Mail ID और Mobile Nubmer करवा दें एवं आपके Bank Account Number को आवश्यक रूप से Addhar Card से Link करवाएं। साथ ही यह बैंक एकाउण्ट KYC पूर्ण खाता होना चाहिए। 4. SSO-Portal पर Registration करने के बाद आपके Profile में Bhamashah Card or Addhar Card Nuber आवश्यक रूप से अपडेट करें। 5. उपरोक्त सभी Updation के बाद आप छात्रवृत्ति के नवीन पोर्टल पर आवेदन करें इससे पूर्व आवेदन नहीं करें। 6. छात्रवृत्ति आवेदन करने व अपना आवेदन-पत्र लॉक करने के बाद यदि इस आवेदन को कॉलेज व समाज कल्याण विभाग द्वारा चैक किया जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की कमी होगी तो आपके पोर्टल पर कमेंट डाल कर मोबाईल एस.एम.एस. (आवेदन में भरे गए आपके व्यक्तिगत नम्बर) भेज कर सूचित किया जाएगा। इसलिए आपको परामर्श दिया जाता है कि कॉलेज या समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके आवेदन से किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन आने पर तुरंत उसे में सही कर पुनः लॉक करें और इसकी सूचना आपके कॉलेज के छात्रवृत्ति प्रभारी को दें। अतः आवेदन करने के बाद नियमित रूप से मोबाईल एस.एम.एस. व अपने पोर्टल को चैक करते रहें। 7. आय-प्रमाण पत्र में अपनी वैध आय ही भरे यदि किसी भी विद्यार्थी द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है या गलत आय भरी जाती है तो इसकी समस्त विधिक जिम्मेवारी संबंधित विद्यार्थी व आय-घोषणा पत्र देने वाले व्यक्ति की होगी एवं आय प्रमाण पत्र में किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़ें। 8. अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज की ऑरिजनल कॉपी ही अपलोड करे किस भी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी पोर्टल पर अपलोड-नही करें।
<p>Fresh/Renwal Application ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया एवं अन्तिम दिनांक 30.09.2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scholarship: 2019-20 में आवेदन करने हेतु www.sje.rajasthan.gov.in वेबसाईट को ओपन करके New Scholarship Portal को क्लिक कर आपकी Personal SSO ID बनाए और इसके बाद आवेदन करें (विशेष रूप से ध्यान रखें की यह SSO ID अपने ही नाम से बना कर आवेदन करें किसी अन्य ई-मीत्र की SSO ID से आवेदन नहीं करें। 2. आवेदन के समय Department Name : SOCIAL JUSTICE सलेक्ट करें/Scheme Name : SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE सलेक्ट करें/Fee Details में फीस का विवरण कॉलेज द्वारा भरा जाएगा, आपको फीस की हेडवाईज राशि का विवरण नहीं भरना है। 3. अन्तिम दिनांक 30.09.2019 तक अपना ऑन-लाईन आवेदन आवश्यक रूप से भरें एवं छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण एवं जानकारी के लिए छात्रवृत्ति प्रभारी श्री विक्रम राठौड़ 9867929676 से सम्पर्क करें।


शिखा जैन
(सचिव)

एमआईटीएस साईंस आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज प्रबंध समिति


प्राचार्य (CIC)

एमआईटीएस साईंस आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज


Scholarship Incharge

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए

प्रारूप भाग-I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:-
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर)(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (सम्बन्धित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नं. 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय: रु.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय: रु.....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय: रु.
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.	कुल वार्षिक आय: रु.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम

मय विद्यार्थी से सम्बंध

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्राथियों.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्राथियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम.....

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम.....

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

(पद नाम, दिनांक मय मो.न.)

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंका करवाए।)

प्रारूप भाग-III (शपथ -पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु. है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)पिता/पति का नाम

आयु.....निवासी.....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम मय पद एवं सील

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर

– अध्ययन अन्तराल प्रमाण पत्र (Gape Certificate) –
स्वघोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री जाति
उम्रनिवासी
.....आज बमुकाम बयान करता हूं/करती हूं कि :-

1. कि मैंने वर्षमेंकी परीक्षा दी थी जिसमें मैं उत्तीर्ण रहा था/रही थी।
2. कि शैक्षणिक सत्र में मेरे नियमित अध्ययन में अन्तराल रहा है।
3. कि मैं अध्ययन में अन्तराल शैक्षणिक सत्र.....में मैंने कही भी अन्यत्र प्रवेश नहीं लिया था।
4. कि शैक्षणिक सत्र के दौरान मुझ से संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद पुलिस थाना/न्यायालय व अन्य विभाग में विचाराधिन नहीं है।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्रार्थी)

– तस्दीक –

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त घोषण एवं मुझ द्वारा वर्णित तमाम तथ्य मेरी निजी ज्ञान व जानकारी में सही एवं सत्य है।

(हस्ताक्षर प्रार्थी)

नाम

स्थान

दिनांक